[2022] 10 एस. सी. आर 136

टी. जे. गौद्र परमेश्वराप्पा

बनाम

द ब्रांच मैनेजर, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2022 की 8598-8599)

18 नवंबर, 2022

[न्यायमूर्तिगण बी**.** आर**.** गवई और बी**.** वी**.** नागरत्ना**]**

मोटर दुर्घटना दावा-क्षतिपूर्ति-स्थायी शारीरिक अक्षमता का आकलन-एक सड़क दुर्घटना में अपीलार्थी को लगी चोटों का आकलन-इसलिए उन्होंने दावा याचिका दायर कर 40 प्रतिशत की सीमा तक स्थायी शारीरिक अक्षमता का आकलन किया और 8 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 8,400 रुपये की राशि प्रदान की-पीड़ित, बीमाकर्ता और बीमित दावेदार दोनों ने एम. ए. सी. टी. द्वारा पारित पुरस्कार के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की-उच्च न्यायालय ने अक्षमता मूल्यांकन को 20 प्रतिशत तक कम कर दिया और नोट किया कि मुआवजे का पुरस्कार उच्च पक्ष पर था और इसलिए मुआवजे को घटाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। अपीलार्थी के दोनों पैरों में टिबिया का स्थायी अस्थि भंग, पूरे शरीर की अक्षमता का आकलन 30 प्रतिशत के रूप में किया जाता है-उसका दो बार ऑपरेशन किया गया था और छत्तीस दिनों तक उसे संचयी रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसलिए, दर्द और पीड़ा के शीर्ष के तहत मुआवजे को बढ़ाया जाता है-साथ ही भविष्य की सुविधाओं के नुकसान और बारह महीने की अवधि के लिए निर्धारित अवधि के दौरान आय के नुकसान के लिए मुआवजे को बढ़ाया जाता है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को मुआवजे के पुरस्कार को बढ़ाकर Rs.11,67,405/- कर दिया जाता है।

राज कुमार बनाम अजय कुमार और दूसरा **(2011) 1** एस**.** सी**.** सी**. 343 :[2010] 13** एस**.** सी**.** आर**. 17 9-**पर निर्भर था।संदर्भित निर्णय

[2010] 13 एस**.** सी**.** आर**. 17**

पैरा **8** पर निर्भर

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 8598-8599।

2017 सी/डब्ल्यू एंड एम. एफ. ए. 2016 (एम. वी.) के एम. एफ. ए. No.48 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

शेखर जी. देवसा, मनीष तिवारी, प्रशांत दीक्षित, सुश्री थश्मिता के. एम., एम/एस. देवसा एंड कंपनी के लिए शशि भूषण नगर, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

डॉ. सुधीर बिस्ला, सुश्री सुमित्र बिस्ला, सत्येंद्र कुमार, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय नागरत्ना जे द्वारा दिया गया था

अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें 2016 (एम. वी.) के एम. एफ. ए. No.7972 दिनांक 16.10.2020 से संबंधित 2017 के एम. एफ. ए. No.48 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय की शुद्धता पर हमला करती हैं।2017 का एम. एफ. ए. <आई. डी1> बीमाकर्ता-न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी द्वारा दाखिल किया गया था। लिमिटेड, जबकि 2016 (एम. वी.) का एम. एफ. ए. No.7972 बीमित दावेदार द्वारा दायर किया गया था, दोनों प्रथम अतिरिक्त द्वारा पारित 16.09.2016 के निर्णय और पुरस्कार से व्यथित थे।2015 के एम. वी. सी. No.1091 में चित्रदुर्ग में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और चतुर्थ एम. ए. सी. टी.उक्त निर्णय और निर्णय द्वारा, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद सुविधा के लिए "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से जमा करने की तारीख तक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 8,400 रुपये (केवल 21 लाख आठ हजार चार सौ रुपये) की राशि का आदेश दिया।यह एक दुर्घटना के संबंध में था जो 15.05.2015 पर हुई थी जिसमें अपीलार्थी-दावेदार घायल हो गया था।उच्च न्यायालय द्वारा याचिका की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुल मुआवजे में कमी से व्यथित होकर, घायल-दावेदार ने ये अपीलें दायर की हैं।

3. यह अब विवाद में नहीं है कि 15.05.2015 पर लगभग 03 बजेः35 अपराह्न अपीलार्थी-दावेदार ड्राइवर पी. जगदीश के साथ किडलाइक से हसन तक क्लीनर के रूप में No.KA-01-एजी-226 वाले टैंकर लॉरी में यात्रा कर रहा था।एन. एच.-4 फ्लाईओवर पर आर. टी. ओ. कार्यालय, चित्रदुर्ग के पास टैंकर लॉरी के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाई।

और तेज गति से और एक अन्य लॉरी के पिछले हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी-दावेदार के दोनों पैरों की टिबिया हड्डियों का सामान्य फ्रैक्चर और उसके शरीर पर अन्य चोटें आईं।उन्हें बी. एम. सी. अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, चित्रदुर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने 15.05.2015 से 13.06.2015 तक एक इनपेशेंट के रूप में इलाज किया और उसके बाद एक बाह्य रोगी के रूप में अनुवर्ती उपचार लिया।उपचार के दौरान, उनके दोनों पैरों की सर्जरी की गई और रॉड और स्क्रू लगाए गए।

4. अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया और दोनों पैरों की टिबिया हड्डियों के फ्रैक्चर और अन्य चोटों के कारण, वह टैंकर लॉरी में क्लीनर के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है और इसलिए, उसे आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से नुकसान उठाना पड़ा है।कि वह अपनी दिनचर्या की गतिविधियों को करने में भी असमर्थ है क्योंकि वह स्थायी रूप से विकलांग है।कि वह एक टैंकर लॉरी में क्लीनर के रूप में काम कर रहा था और प्रति माह Rs.18,000/- कमा रहा था और

विकलांगता के कारण, वह कोई आय अर्जित करने में असमर्थ है।इसलिए, उन्होंने सड़क यातायात दुर्घटना में लगी चोटों के कारण Rs.20 लाख के मुआवजे की मांग करते हुए दावा याचिका दायर की।प्रतिवाद पर, न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय और दिनांक 16.09.2016 के निर्णय द्वारा, निम्नलिखित शीर्षों के तहत, याचिका की तारीख से जमा करने की तारीख तक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ Rs.21,08,400/- की राशि प्रदान कीः

“एस. एल. नहीं। वर्णन

रुपये में राशि।

1.

दर्द और पीड़ा

5,00,000/-2. चिकित्सा और आनुषंगिक व्यय 4,00,000 -3. स्थायी अक्षमता

एफ.

(40% 6, 500 x 12 x 17 रुपये का) 5,30,400 -4. भावी चिकित्सा व्यय 2,00,000 -5. परिवहन और परिचारक 2,00,000-शुल्क

6.

भविष्य की संभावनाएं

78,000/-

(12 महीने x 6,500)

7.

विवाह की संभावनाएँ

2,00,000/-

कुल 21,08,400-"

वास्तव में, न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा अपीलार्थी -दावेदार द्वारा दावा याचिका में जो मांगा गया था, उससे कहीं अधिक था अर्थात Rs.20,00,000/-।

5. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, बीमाकर्ता और बीमाकृत दावेदार दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अपील दायर की।उच्च न्यायालय ने नोट किया कि दावेदार को प्रदर्शनी-पी6 के अनुसार अपने माथे पर घाव और दाएं और बाएं पैरों के मध्य 1/3 टिबिया का फ्रैक्चर हुआ था। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि मुआवजे का अधिनिर्णय उच्च पक्ष पर था और इसलिए, उच्च न्यायालय ने मुआवजे को घटाकर रु. 7,37,604 कर दिया-निम्नलिखित शीर्षों के तहतः-

एस. एल. नहीं। वर्णन

रुपये में राशि।

सी.

1.

स्थायी अक्षमता

(20% 9, 000 x 12 x 17 रुपये का)

3,67,200/-

2.

दर्द और पीड़ा

50,000/-3. चिकित्सा और आनुषंगिक व्यय 1,20,404 -4. भविष्य का चिकित्सा खर्च 50,000/-5. परिवहन शुल्क

30,000/-6. निर्धारित अवधि के दौरान आय 45,000/-7. सुविधाओं का नुकसान

75,000/- कुल 7,37,604 -

विवाह की संभावनाओं के नुकसान और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त शर्तों में अपीलों का निपटारा किया गया।

6. हमने अपीलार्थी-दावेदार और प्रत्यर्थी -बीमाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

7. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्क का योग और सार यह है कि स्थायी शारीरिक अक्षमता का आकलन 54 प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन उच्च न्यायालय ने गलती से इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया था जो 34 प्रतिशत कम था और इसलिए इन अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।यह आगे तर्क दिया गया कि अपीलार्थी टैंकर लॉरी के क्लीनर के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये कमा रहा था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसकी अनुमानित आय का आकलन केवल 9,000 रुपये प्रति माह के रूप में किया है, जो कि निचले हिस्से में है।यह आगे तर्क दिया गया कि दोनों पैरों के फ्रैक्चर के कारण, अपीलार्थी टैंकर लॉरी के क्लीनर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है और अक्षमता के प्रतिशत का गलत आकलन 20 प्रतिशत किया गया है जबकि डॉक्टर ने 54 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता का आकलन किया था।इसलिए, अपीलार्थी ने मुआवजे में वृद्धि की मांग की है।8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी -बीमाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया और कहा कि इन अपीलों को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए।

योग्यता के आधार पर अपीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, राज कुमार बनाम अजय मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

कुमार एंड अदर (2011) 1 एस. सी. सी. 343, रवींद्रन, जे.

जिसमें चोट के मामलों में मुआवजे से संबंधित सामान्य सिद्धांतों; स्थायी विकलांगता के कारण भविष्य की आय के नुकसान का आकलन; चोट के मामलों में मुआवजे का आकलन, पर विस्तार से चर्चा की गई है।उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार निकाले गए हैंः

“5. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") के प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि पुरस्कार न्यायसंगत होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि मुआवजे को, जहां तक संभव हो, पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से दावेदार को दुर्घटना से पहले के पद पर बहाल करना चाहिए।हर्जाना देने का उद्देश्य गलत काम के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की उचित, उचित और न्यायसंगत तरीके से जहां तक पैसा ऐसा कर सकता है, भरपाई करना है।न्यायालय या न्यायाधिकरण को नुकसान का निष्पक्ष रूप से आकलन करना होगा और किसी भी अटकल या कल्पना को विचार से बाहर करना होगा, हालांकि विकलांगता की प्रकृति और उसके परिणामों के संदर्भ में कुछ अनुमान अपरिहार्य हैं।एक व्यक्ति को न केवल शारीरिक चोट के लिए मुआवजा दिया जाना है, बल्कि उस नुकसान के लिए भी जो उसे ऐसी चोट के परिणामस्वरूप हुआ है।इसका मतलब यह है कि उसे पूर्ण जीवन जीने में असमर्थता, उन सामान्य सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थता के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिनका वह आनंद लेता, लेकिन चोटों के लिए, और उतनी कमाई करने में असमर्थता के लिए जो वह कमाता था या कमा सकता था।[सी. के. देखें।

सुब्रमण्यम अय्यर बनाम टी. कुन्हीकुट्टन नायर **[(1969) 3** एससीसी **64:**ए. आई. आर. **1970** एस. सी. **376],** आर. डी. हट्टंगडी बनाम कीट नियंत्रण **(**भारत**) (**पी**)** लिमिटेड। **[(1995) 1** एससीसी **551:1995** एस. सी. सी. **(**सी. आर. आई.**) 250]** और बेकर बनाम विलोबी **[1970** एसी **467:(1970) 2** डब्ल्यूएलआर **50:(1969) 3** सभी ईआर **1528 (**एचएल**)]**।

6. जिन शीर्षों के तहत व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवजा दिया जाता है**,** वे निम्नलिखित हैंः

आर्थिक क्षति (विशेष क्षति)

(i) उपचार, अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं, परिवहन, पोषण भोजन और विविध खर्चों से संबंधित खर्च।((ii) कमाई (और अन्य लाभ) का नुकसान जो घायल व्यक्ति को होता अगर वह घायल नहीं होता, जिसमें शामिल हैंः

(क) उपचार की अवधि के दौरान कमाई का नुकसान;

(ख) स्थायी अक्षमता के कारण भविष्य की आय का नुकसान।

((iii) भविष्य के चिकित्सा व्यय।

गैर-आर्थिक नुकसान (सामान्य नुकसान)

((iv) चोटों के परिणामस्वरूप दर्द, पीड़ा और आघात के लिए नुकसान।

(v) सुविधाओं का नुकसान (और/या विवाह की संभावनाओं का नुकसान)।(vi) जीवन की अपेक्षा का नुकसान (सामान्य दीर्घायु को कम करना)।नियमित व्यक्तिगत चोट के मामलों में, मुआवजा केवल शीर्ष (i), (ii) (a) और (iv) के तहत दिया जाएगा।यह केवल चोट के गंभीर मामलों में है, जहां दावेदार के साक्ष्य की पुष्टि करने वाले विशिष्ट चिकित्सा साक्ष्य हैं, कि स्थायी विकलांगता, भविष्य के चिकित्सा खर्चों, सुविधाओं की हानि (और/या विवाह की संभावनाओं की हानि) और जीवन की उम्मीद की हानि के कारण भविष्य की कमाई के नुकसान से संबंधित किसी भी शीर्ष (ii) (b), (iii), (v) और (vi) के तहत मुआवजा दिया जाएगा।

7. मद (i) और मद (ii) (a) के तहत आर्थिक नुकसान का आकलन बहुत कठिनाई पैदा नहीं करता है क्योंकि उनमें वास्तविक की प्रतिपूर्ति शामिल होती है और साक्ष्य से आसानी से पता लगाया जा सकता है।भविष्य के चिकित्सा खर्चों के शीर्ष के तहत पुरस्कार-वस्तु (iii)-आगे के उपचार की आवश्यकता और उसकी लागत के संबंध में विशिष्ट चिकित्सा साक्ष्य पर निर्भर करता है।गैर-आर्थिक नुकसान-मद (iv), (v) और (vi)-के आकलन में उम्र, दावेदार को हुई चोट/अभाव/अक्षमता की प्रकृति और दावेदार के भविष्य के जीवन पर उसके प्रभाव जैसी परिस्थितियों के संदर्भ में एकमुश्त राशि का निर्धारण शामिल है।इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों में आवश्यक दिशा-निर्देश हैं -

यदि आवश्यक हो तो इन शीर्षों के तहत पुरस्कार।स्थायी अक्षमता के कारण भविष्य में आय के नुकसान का आकलन करना आम तौर पर कुछ कठिनाई पैदा करता है-मद (ii) (क)।हम इस मामले में उस मूल्यांकन से चिंतित हैं।

स्थायी अक्षमता के कारण आय के भविष्य के नुकसान का आकलन

8. अक्षमता किसी भी प्रतिबंध या किसी गतिविधि को करने की क्षमता की कमी को संदर्भित करती है जिसे मनुष्य के लिए सामान्य माना जाता है।स्थायी अक्षमता शरीर के कुछ हिस्सों की अवशिष्ट अक्षमता या उपयोग की हानि को संदर्भित करता है, जो उपचार और स्वास्थ्य लाभ की अवधि के अंत में मौजूद पाया जाता है, अधिकतम शारीरिक सुधार या स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के बाद जो घायल व्यक्ति के शेष जीवन के लिए रहने की संभावना है।अस्थायी अक्षमता चोट के कारण शरीर के किसी हिस्से के उपयोग की अक्षमता या हानि को संदर्भित करता है, जो उपचार और स्वास्थ्य लाभ की अवधि के अंत में अस्तित्व में नहीं रहेगा।स्थायी अक्षमता या तो आंशिक या पूर्ण हो सकती है।आंशिक स्थायी अक्षमता किसी व्यक्ति की उन सभी कर्तव्यों और शारीरिक कार्यों को करने में असमर्थता को संदर्भित करती है जो वह दुर्घटना से पहले कर सकता था, हालांकि वह उनमें से कुछ को करने में सक्षम है और फिर भी कुछ लाभकारी

गतिविधि में संलग्न होने में सक्षम है।पूर्ण स्थायी अक्षमता दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की किसी भी व्यवसाय या रोजगार से संबंधित गतिविधियों को करने में असमर्थता को संदर्भित करती है।शारीरिक अक्षमताओं की तुलना में मोटर दुर्घटना की चोटों से उत्पन्न होने वाली स्थायी अक्षमताएं बहुत व्यापक हैं, जो विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 ("विकलांग अधिनियम", संक्षेप में) में उल्लिखित हैं। लेकिन यदि विकलांग अधिनियम की धारा 2 (i) में उल्लिखित कोई भी अक्षमता मोटर दुर्घटना में लगी चोटों का परिणाम है, तो वे मुआवजे का दावा करने के उद्देश्य से स्थायी अक्षमता हो सकती हैं।

9. स्थायी अक्षमता का प्रतिशत डॉक्टरों द्वारा पूरे शरीर के संदर्भ में, या अधिक बार किसी विशेष अंग के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है।जब एक विकलांगता प्रमाण पत्र में कहा गया है कि घायल को बाएं निचले अंग के 45 प्रतिशत तक स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है, तो यह पूरे ए के संदर्भ में 45 प्रतिशत स्थायी विकलांगता के समान नहीं है।

शरीर।एक अंग (या शरीर के हिस्से) की अक्षमता की सीमा को उस अंग के कुल कार्यों के प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, स्पष्ट रूप से पूरे शरीर की अक्षमता की सीमा नहीं मानी जा सकती है।यदि दाहिने हाथ की 60 प्रतिशत स्थायी अक्षमता और बाएं पैर की 80 प्रतिशत स्थायी अक्षमता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे शरीर के संदर्भ में स्थायी अक्षमता की सीमा 140% (यानी 80 प्रतिशत और 60 प्रतिशत) है।यदि शरीर के विभिन्न हिस्सों में अक्षमताओं के अलग-अलग प्रतिशत हुए हैं, तो पूरे शरीर के संदर्भ में स्थायी अक्षमता के संदर्भ में व्यक्त कुल राशि स्पष्ट रूप से 100% से अधिक नहीं हो सकती है।

10. जहाँ दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता होती है, वहाँ भविष्य की कमाई के नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजे का आकलन उसकी कमाई क्षमता पर ऐसी स्थायी अक्षमता के प्रभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा।न्यायाधिकरण को स्वचालित रूप से स्थायी विकलांगता के प्रतिशत को आर्थिक नुकसान या कमाई क्षमता के नुकसान के प्रतिशत के रूप में लागू नहीं करना चाहिए।अधिकांश मामलों में, स्थायी अक्षमता से उत्पन्न होने वाले आर्थिक नुकसान का प्रतिशत, यानी कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी अक्षमता के प्रतिशत से अलग होगा।कुछ न्यायाधिकरण गलत तरीके से यह मानते हैं कि सभी मामलों में, स्थायी अक्षमता की एक विशेष सीमा (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप अर्जित करने की क्षमता का नुकसान होगा, और इसके परिणामस्वरूप, यदि प्रस्तुत साक्ष्य स्थायी अक्षमता के रूप में 45 प्रतिशत दिखाता है, तो यह माना जाएगा कि भविष्य में अर्जित करने की क्षमता का 45 प्रतिशत नुकसान होगा।अधिकांश मामलों में, स्थायी अक्षमता की सीमा (प्रतिशत) तक कमाई क्षमता के नुकसान की सीमा (प्रतिशत) को बराबर करने के परिणामस्वरूप या तो बहुत कम या बहुत अधिक मुआवजा दिया जाएगा।

11. न्यायाधिकरण द्वारा घायल की कमाई क्षमता पर स्थायी अक्षमता के प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता है; और आय के प्रतिशत के संदर्भ में कमाई क्षमता के नुकसान का आकलन करने के बाद इसे धन के संदर्भ में मापा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कमाई के

नुकसान (निर्भरता के नुकसान को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक गुणक विधि को लागू करके) पर पहुंचा जा सके।तथापि, हम यह नोट कर सकते हैं कि कुछ मामलों में साक्ष्य और मूल्यांकन की सराहना पर, न्यायाधिकरण यह ज्ञात कीजिए कि स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप अर्जित करने की क्षमता के नुकसान का प्रतिशत लगभग स्थायी अक्षमता के प्रतिशत के बराबर है, जिस मामले में, निश्चित रूप से, न्यायाधिकरण मुआवजे के निर्धारण के लिए उक्त प्रतिशत को अपनाएगा।(उदाहरण के लिए देखें,

अरविंद कुमार मिश्रा बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड **[(2010) 10** एस**.** सी**.** सी**. 254** में इस न्यायालय के निर्णय:**(2010) 3** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आर**.** आई**) 1258:(2010) 10** स्केल **298]** और यादव कुमार बनाम राष्ट्रीय बीमा **Co.Ltd**। **[(2010) 10** एससीसी **341:(2010) 3** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आर**.** आई**) 1285: (2010) 8** स्केल **567])**

12. इसलिए, न्यायाधिकरण को पहले यह तय करना होगा कि क्या कोई स्थायी विकलांगता है और यदि है, तो ऐसी स्थायी विकलांगता की सीमा क्या है।इसका मतलब है कि न्यायाधिकरण को साक्ष्य के संदर्भ में विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए:

(i) क्या अक्षमता स्थायी है या अस्थायी; (ii) यदि अक्षमता स्थायी है, चाहे वह स्थायी पूर्ण अक्षमता हो या स्थायी आंशिक अक्षमता;

(iii) यदि अक्षमता का प्रतिशत किसी विशिष्ट अंग के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो पूरे शरीर के कामकाज पर अंग के इस तरह के अक्षमता का प्रभाव, यानी व्यक्ति को स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ता है।यदि न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि कोई स्थायी अक्षमता नहीं है तो आगे बढ़ने और भविष्य में कमाई करने की क्षमता के नुकसान का निर्धारण करने का कोई सवाल ही नहीं है।लेकिन अगर न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि स्थायी विकलांगता है तो वह इसकी सीमा का पता लगाने के लिए आगे बढ़ेगा।न्यायाधिकरण द्वारा चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर दावेदार की स्थायी अक्षमता की वास्तविक सीमा का पता लगाने के बाद, उसे यह निर्धारित करना होगा कि क्या इस तरह की स्थायी अक्षमता ने उसकी कमाई की क्षमता को प्रभावित किया है या प्रभावित करेगा।

13. वास्तविक कमाई क्षमता पर स्थायी अक्षमता के प्रभाव की पुष्टि में तीन चरण शामिल हैं। न्यायाधिकरण को पहले यह पता लगाना होगा कि स्थायी विकलांगता के बावजूद दावेदार कौन सी गतिविधियाँ कर सकता है और स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप वह क्या नहीं कर सकता है (यह जीवन की सुविधाओं के नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजा देने के लिए भी प्रासंगिक है)।दूसरा कदम दुर्घटना से पहले उसके व्यवसाय, पेशे और काम की प्रकृति के साथ-साथ उसकी उम्र का भी पता लगाना है।तीसरा कदम ए को खोजना है।

क्या (i) दावेदार किसी भी प्रकार की आजीविका कमाने से पूरी तरह से अक्षम है, या (ii) स्थायी विकलांगता के बावजूद, दावेदार अभी भी उन गतिविधियों और कार्यों को प्रभावी ढंग से जारी रख सकता है, जिन्हें वह पहले कर रहा था, या (iii) क्या उसे अपनी पिछली गतिविधियों

और कार्यों के निर्वहन से रोका गया था या प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन वह कुछ अन्य या कम पैमाने पर गतिविधियों और कार्यों को जारी रख सकता है ताकि वह अपनी आजीविका अर्जित कर सके या जारी रख सके।

XXX

19. अब हम ऊपर चर्चा किए गए सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैंः(i) सभी चोटों (या चोटों से उत्पन्न होने वाली स्थायी अक्षमता) के परिणामस्वरूप कमाई की क्षमता का नुकसान नहीं होता है।

((ii) किसी व्यक्ति के पूरे शरीर के संदर्भ में स्थायी विकलांगता का प्रतिशत, कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत नहीं माना जा सकता है।इसे अलग तरह से रखने के लिए, कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत स्थायी विकलांगता के प्रतिशत के बराबर नहीं है (कुछ मामलों को छोड़कर, जहां न्यायाधिकरण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत स्थायी विकलांगता के प्रतिशत के बराबर है)।

(iii) वह डॉक्टर जिसने एक घायल दावेदार का इलाज किया या जिसने बाद में उसकी स्थायी विकलांगता की सीमा का आकलन करने के लिए उसकी जांच की, वह केवल स्थायी विकलांगता की सीमा के संबंध में साक्ष्य दे सकता है।अर्जित करने की क्षमता का नुकसान एक ऐसी चीज है जिसका मूल्यांकन न्यायाधिकरण द्वारा पूरी तरह से साक्ष्य के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

((iv) एक ही स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप अलग-अलग व्यक्तियों में कमाई क्षमता के नुकसान के अलग-अलग प्रतिशत हो सकते हैं, जो पेशे, व्यवसाय या नौकरी, उम्र, शिक्षा और अन्य कारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

9. तत्काल मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह ध्यान दिया जाता है कि अपीलार्थी ने यहां पीडब्लू-1 के रूप में अपना साक्ष्य दिया और उनके डॉक्टर (डॉ. एम. एस. राजेश) की पीडब्लू-2 के रूप में जांच की गई।उन्होंने उनके साक्ष्य के समर्थन में प्रदर्शनी-पी1 से प्रदर्शनी-पी126 में दस्तावेज प्रस्तुत किए।दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने कोई सबूत नहीं दिया। हालांकि, प्रदर्शनी-आर 1, यानी बीमा पॉलिसी की एक प्रति सहमति से प्रदर्शित की गई थी

10. यह ध्यान दिया जाता है कि इसमें अपीलार्थी के दोनों पैरों में टिबिया की हड्डी टूट गई थी। उनका दो बार ऑपरेशन किया गया और कुल मिलाकर छत्तीस दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। पीडब्लू-2 (उसका इलाज करने वाले डॉक्टर) के अनुसार, इसमें अपीलार्थी को दिए गए उपचार के बावजूद 54 प्रतिशत अक्षमता थी।अपीलार्थी को 15.05.2015 से 13.06.2015 तक एक रोगी के रूप में माना गया था।इंटरलॉकिंग नाखून के साथ ओ. आर. एंड. आई. एफ. घाव से पीड़ित हुए और 26.05.2015 पर दाहिने पैर की द्वितीयक सिलाई की गई।बाद में वर्ष 2016 में दावेदार को 02.03.2016 से 07.03.2016 तक अस्पताल में भर्ती कराया गया और टूटे हुए टुकड़ों के सिरों को ताज़ा करने और 03.03.2016 पर

आंशिक फाइब्यूलेक्टोमी के साथ कॉन्ट्रा लेटरल इलियाक क्रेस्ट से कोटिको-कैंसिलस हड्डी ग्राफ्टिंग के साथ इलाज किया गया।उन्होंने 30.06.2015 और 30.12.2015 पर एक बाह्य रोगी के रूप में भी इलाज किया।

11. पीडब्लू-2-डॉक्टर, जिन्होंने अपीलार्थी-दावेदार का इलाज किया, ने 54 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता का आकलन किया है जो हम पाते हैं कि उच्च पक्ष पर है।चूंकि दावेदार के दोनों पैरों की टिबिया की हड्डियों में सामान्य फ्रैक्चर बना हुआ है, इसलिए हम पूरे शरीर की अक्षमता का 30 प्रतिशत का आकलन करते हैं।हम दो शल्य चिकित्साओं और भविष्य में होने वाली शल्य चिकित्साओं के कारण दर्द और पीड़ा के शीर्ष के तहत मुआवजे को बढ़ाने का भी प्रस्ताव करते हैं।साथ ही भविष्य की सुविधाओं के नुकसान और बारह महीने की अवधि के लिए निर्धारित अवधि के दौरान आय के नुकसान के लिए मुआवजे में वृद्धि की जाती है।

12. दावेदार द्वारा दिए गए उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम मुआवजे का निम्नानुसार पुनर्मूल्यांकन करने का प्रस्ताव करते हैंः

एस. एल. नहीं। वर्णन

रुपये में राशि।

1.

दर्द और पीड़ा

1,00,000/-

1,20,405/-

2.

चिकित्सा खर्च

3.

आकस्मिक अस्पताल खर्च

35,000/-

4.

भविष्य में कमाई करने की क्षमता का नुकसान

(30% Rs.10,000 x 12 x 17) 6,12,000 -5. जमा किए जाने के दौरान आय का नुकसान

जी.

अवधि (Rs.10,000 x 12)

1,20,000/-

6.

भविष्य की सुविधाओं का नुकसान

1,00,000/-

7.

परिवहन और परिचर शुल्क 30,000/-

8.

भविष्य के चिकित्सा खर्च

50,000/-

कुल Rs.11,67,405/- A

147

उपरोक्त मुआवजे पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।13. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय को संशोधित किया जाता है और इसमें अपीलार्थी को मुआवजे के पुरस्कार को रुपये से बढ़ाकर 67,405/- कर दिया जाता है, जिसमें दावा याचिका दायर करने की तारीख से प्राप्ति तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज होगा।यह राशि इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर जमा की जाएगी।उक्त राशि जमा करने पर, न्यायाधिकरण पांच साल की अवधि के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रुपये की राशि जमा करेगा।अपीलार्थी उक्त जमा राशि पर आवधिक ब्याज निकालने का हकदार होगा।शेष राशि का भुगतान इसमें अपीलार्थी को किया जाएगा।

14. अपीलों को उपरोक्त शर्तों में आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।दल अपन-अपन लागत वहन करत।

अंकित ज्ञान

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)